गंदगी फैलाने व अतिक्रमण करने वाले आठ व्यक्तियों पर जुर्माना

मिड टाउन मैरिज हाल सील कर किया 5000 का जुर्माना

रतलाम। नगर निगम द्वारा शहर में गंदगी फैलाने, अतिक्रमण करने और अमानक पालिथीन का उपयोग करने वालों के खिलाफ सतत कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को आठ व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। साथ ही मिड टाउन मैरिज हाल को कचरा व गंदगी करने पर सील कर 5000 रुपये का जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार त्रिपुरा वाइन शाप नाहरपुरा से 5000 रुपये, मिलदत्त से 1000, सुमेर, जावेद, राजेश, रितेश से 500-500 रुपये व रतन से 300 रुपये का जुर्माना वसूला गया। स्पाट फाइन दल ने सभी को भविष्य में गंदगी नहीं फैलाना, अतिक्रमण व अमानक पालिथीन का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी। कार्रवाई उपयंत्री राजेंद्र मिश्रा के निर्देशन में की गई।

नगर निगम को विभिन्न करों से 10.34 लाख राजस्व प्राप्त

रतलाम। नगर निगम के संपत्तिकर, जलकर, लाइसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराएं गए करों के तहत मंगलवार को कुल 10 लाख 34 हजार 699 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। संपत्तिकर कार्यालय को 488414, वसूली दल को 158500, जलकर कार्यालय को 315390, वसूली दल को 41170, स्पाट फाइन दल को 10000, दुकान-गुमटी किराया कार्यालय को 4528, वसूली दल को 16697 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

27-4-22

...के लिए शुल्क निर्धारित है।

मिड टाउन मैरिज हॉल किया सील

रतलाम. शहर की मिड टाउन कॉलोनी स्थित मैरिज हॉल को मंगलवार को नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया। दल के अनुसार मैरिज हॉल में गंदगी पाई जाने पर सील करते हुए पांच हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई। खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करने वाले आमजन से लेकर कारोबारियों पर निगम का स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में मैरिज हॉल पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के अलावा दल ने 8 व्यक्तियों पर जुर्माना किया।

27-4

गन्ने की चरखी से निकलने वाले वेस्टेज को कर रखा था संग्रहित

कब्जा कर प्रतापनगर ब्रिज के नीचे बनाए तबेले में लगी आग

पत्रिका सिटी हैपनिंग

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. प्रतापनगर ओवर ब्रिज के नीचे की जमीन पर अवैध कब्जा कर उसमें बनाए गए तबेले में मंगलवार की शाम को अचानक आग लग गई। तबेले के एक हिस्से में गन्ने की चरखी से निकलने वाले वेस्ट को भारी मात्रा में संग्रहित कर रखा होने से आग की लपटें तेजी से फैली। तमाम अधिकारी और दमकलें मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कब्जा करने वाले शहजाद पिता अब्दुल अजीज कुरैशी 26 निवासी प्रतापनगर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

कलेक्टोरेट से मंडी तरफ जाने वाले ओवर ब्रिज की साइड में तो सर्विस रोड है लेकिन प्रतानगर की तरफ जाने वाले ब्रिज की साइड में सर्विस रोड नहीं होने का कई लोगों ने फायदा उठाया। शहजाद ने भी इस ब्रिज के नीचे बने तीन-चार पिल्लरों वाले एक बड़े हिस्से में कब्जा कर तबेला बना दिया था। इसी क्षेत्र में कई अन्य ने भी कब्जा जमाया हुआ है।

सेतू निगम कराएगा एफआईआर दर्ज

मौके पर पहुंचे स्टेशन रोड टीआई किशोर पाटनवाला की सूचना पर सेतू निगम के एसडीओ आरके गुप्ता, पटवारी सहित निगम अमला भी पहुंचा। सेतू निगम के एसडीओ गुप्ता के अनुसार कब्जा करने वाले शहजाद पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आग से ब्रिज को बड़ा नुकसान हो सकता था।

पीएम आवास, हितग्राहियों को मिलेगी राशि

रतलाम. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान 27 अप्रेल को भोपाल मिंटो हाल से दोपहर 3 बजे राज्य स्तरीय आयोजन के माध्यम से प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक द्वारा राशि लाभ वितरण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। शहर में गुलाब चक्कर में आयोजन होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के पात्र हितग्राहियों को कार्य की प्रगति के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय किश्त राशि का मुख्यमंत्री चौहान सिंगल क्लिक कर वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा भूमिपूजन तथा गृह प्रवेश भी कराया जाएगा। जिले के प्रत्येक निकाय में आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री के उद्बोधन के प्रसारण के लिए आयोजन स्थल पर एलईडी रहेगी।

रतलाम के 326 परिवार को लाभ

गुलाब चक्कर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहर विधायक चेतन्य काश्यप रहेंगे। शहर में 31 को पहली, 99 को दूसरी व 196 लोगों को तीसरी किश्त में कुल 228 लाख की राशि का वितरण होगा।

पत्रिका 27-4-22

अनदेखी

बगीचे में टूटे संसाधन, देखने की भी फुर्सत नहीं

पत्रिका अभियान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. गर्मी का तापमान 43 डिग्री पार है। सुबह व शाम को शहर के बच्चे परिवार के साथ बगीचे में जा रहे है, लेकिन वहां जाकर उनको मायूसी मिल रही है। शहर के बगीचों में संसाधन टूटे हुए है। अब तो परिवार भी कहने लगे है बच्चों की पुकार सुन लो सरकार।

शहर के चार बगीचों में सबसे अधिक भीड़ सुबह व शाम को होती है। शहर के कालिका माता बगीचा, अमृत सागर बगीचा, रोटरी द्वारा बनाया जॉगर्स पार्क व हनुमान ताल स्थित बगीचे में सुबह व शाम को शहर के लोग सबसे अधिक जाते है। इन बगीचों में इसलिए जाते है, क्योंकि अन्य बगीचों में न संसाधन है नहीं हरियाली है।

100 से अधिक माली, हाल बेहाल

शहर में 100 से अधिक बगीचे नगर निगम के पास है। इनमे 110 माली काम कर रहे है। इन बगीचों के मालियों को देखरेख के लिए हर माह वेतन दिया जा रहा है, लेकिन देखरेख के नाम पर क्या हो रहा है, यह किसी को नहीं पता है। कई बगीचों में तो माली कागज पर ही चल रहे है। नगर निगम के उद्यान विभाग प्रभारी के पास तो किस बगीचे में कितने माली है, इसकी सूची भी नहीं है। ऐसे में बगीचों के नाम पर क्या हो रहा है, इसको सहज तरीके से समझा जा सकता है।

यहां टूट गए संसाधन

शहर के कालिका माता मंदिर के करीब बने हुए बगीचे में सुबह 5 बजे बाद से लेकर रात 10 बजे तक आमजन का आना - जाना रहता है। जहां सबसे अधिक भीड़ रहती है, उसी क्षेत्र के बगीचे की उपेक्षा नगर निगम कर रहा है। यहां संसाधन टूट गए है व इसकी देखरेख तक नहीं हो रही है। यह पहली बार नहीं है जब यहां संसाधन टूटे है, इसके पूर्व भी करीब दो माह पूर्व संसाधन टूटे थे, तब दावा किया गया था सब कुछ नया करेंगे, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ है।

सभी बगीचे सुधारेंगे

शहर के चार प्रमुख बगीचों में सुधार कार्य किए जा रहे है। इनके अलावा शहर के सभी बगीचों में सुधार कार्य करावाए जाने की योजना है।

- सोमनाथ झारिया, आयुक्त नगर निगम

शिवमहापुराण कथा • पंडित प्रदीप मिश्रा ने रतलाम के नमकीन की प्रसिद्धि से समझाया आत्मनिर्भर भारत का महत्व

हाथों से सेंव बना-बनाकर पूरे भारत में रतलाम का नाम नमकीन के नाम से प्रसिद्ध कर दिया ऐसे हैं रतलाम वाले

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कनेरी रोड हरथली फंटे पर वैशाख शिवरात्रि शिवमहापुराण कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अगर किसी को दर्शन करने जाना है ना उन्हें रतलाम आकर देख लेना चाहिए कि यहां एक-एक मनुष्य आत्मनिर्भर है। मेहनत कर-कर के हाथ से नमकीन बना-बना कर आज पूरे भारत में रतलाम का नाम नमकीन के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। यह आत्मनिर्भरता नहीं है तो क्या है? मशीनें तो अब आई हैं। सोना लेकर आना और उस सोने को कारीगरी कर-कर के आभूषणों का निर्माण कर बेचना रतलाम की निशानी है। इसलिए सोने के लिए रतलाम प्रसिद्ध है। रतलाम किसी शहर का मोहताज नहीं बल्कि दूसरे नगर और महानगर रतलाम पर आश्रित है, कि यहां से माल आएगा तो आगे काम होगा।

साउंड सिस्टम खराब होने के कारण पं. मिश्रा ने सोमवार को एक घंटे पहले की कथा को विराम देते हुए साउंड सिस्टम से गला खराब होने की बात कही थी। इसके बाद रात में गंज बासौदा (विदिशा) से आए साउंड सिस्टम को फीट किया गया और उसके बाद मंगलवार को उन्होंने तय समयानुसार कथा शुरू की। उन्होंने कहा कि श्री गढ़कैलाश के सामने स्थित अमृत सागर जिसका पानी का अमृत है। उन्होंने अमृत सागर तालाब के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि वर्तमान समय में तालाब में गडर का पानी जा रहा, क्या होगा? जरा विचार करों? अगली बार जब मैं रतलाम आऊंगा तब तालाब को देखूं तो मेरा मन करें इसका पानी पीऊं। यह धरोहर हमारी है। सभी काम प्रशासन का नहीं है। थोड़ कर्म अपना भी है। लोगों को जगाना और जो तालाब में कचार डालने वालों को साफ मनाकर दो, गंदा पानी आ रहा उसका मुंह मोड़ दो। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेंगे हम बदलेंगे तो युग बदलेंगा। उन्होंने कहा कि शूर्पणखा जैसा ज्ञानवान और भक्ति करने वाला दुनिया का कोई भी नहीं है। भगवान को देखकर उसने कहा था कि आप जैसा पुरुष कोई नहीं होगा नारी मेरी जैसी कोई नहीं होगी, इसलिए मैं आप से शादी करना चाहती हूं। मैं आपको अपना बनाना चाहता हूं और मैं आपकी होना चाहती है। दुनिया का व्यक्ति रोज मंदिर जाता है और कुछ न कुछ मांगता है पर वह भगवान से शूर्पणखा जैसा कभी नहीं कह पाता है कि है भगवान में तुम्हारा होना चाहता हूं और तुम्हे अपना बनाना चाहता हूं। बस इतना ही ज्ञान बहुत है। उन्होंने कहा कि खरगोन, देपालपुर, रायसेन, रायपुर (छत्तीसगढ़) में हुई कथा का रिकॉर्ड रतलामवासियों ने तोड़ दिया है। कथा में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कथा के दौरान पंडित मिश्रा से आशीर्वाद लिया। इस दौरान ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, अनिल झालानी, प्रदीप उपाध्याय, अशोक पोरवाल, निमिष व्यास सहित मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण किया।

साख हो तो ऐसी जैसे रतलाम का सोना, बस नाम ही काफी है : पं. मिश्रा

पंडित मिश्रा से आशीर्वाद लेते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय व अन्य।

27-4-22

भक्तों को फरियाली खिचड़ी का प्रसाद बांटते हुए श्री गढ़कैलाश सेवा समिति के शैलेंद्र डागा, नरेंद्र मुन्द्रा, बलवीर राठौर सहित अन्य।

सभी माइक अलग-अलग रहते हैं

गंज बासौदा (विदिशा) से सोमवार शाम को डिजिटल साउंड सिस्टम आ चुका है और जिसे लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। कुछ हार्न ओर लगाने हैं जो बुधवार को कथा शुरू होने के पहले लगा दी जाएंगे। राम श्याम साउंड सिस्टम के श्याम साहू ने बताया कि साउंड लगाने के लिए टीम 25 अप्रैल की सुबह 3 बजे गंज बासौदा से रवाना हुई थी। जो शाम को वहां पहुंचने के बाद देर रात तक और कथा शुरू होने के पहले तक काम करती रही। अलग-अलग माइक रहते हैं इनमें डिजिटल साउंड कंसोल की अहम भूमिका रहती है। गुरुदेव कथा आयोजकों को अच्छा सिस्टम लगाने के लिए कहते हैं तो वे हमारे पास ही आते हैं।

श्रद्धालु पंडाल में कर रहे हैं भजन-कीर्तन

दूर दराज, दूसरे राज्य व शहरों से आए श्रद्धालुओं के लिए कई समाजजनों ने अपनी-अपनी धर्मशालाओं में ठहरने की व्यवस्था की है। जो पंडाल में रहना चा रहे हैं वे पंडाल में रह रहे हैं। रात में पंडाल में रहने वाले श्रद्धालु देर रात कर भजन-कीर्तन कर रहे हैं। पंडाल में रहने वालों के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा भोजन, पानी और चाय की व्यवस्था भी की जा रही है। यहां सोमवार रात को 200 से ज्यादा श्रद्धालु रुके हुए थें। जयपुर से आए शंकरलाल गुप्ता ने बताया कि गुरुदेव ने 1 से 7 दिसंबर की कथा का समय दिया है। उनसे मिलने के लिए आया हूं। सोमवार शाम को आने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई है। मंगलवार को मुलाकात कर कथा का श्रवण कर जयपुर के लिए निकलूंगा। व्यवस्था नहीं होने के कारण परिवार के साथ पंडाल में ठहरा हूं।

15 सफाई मित्रों का एक दिन का वेतन काटा

रतलाम | पर्यवेक्षकों की चेकिंग में मंगलवार को 15 सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं मिले। पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि किसी ने भी न तो अवकाश लिया था, न किसी को सूचना दी थी। रिपोर्ट मिलने पर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सभी का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दे दिए हैं। इसमें सुबह की शिफ्ट के 12 व दोपहर की शिफ्ट के 3 सफाई कर्मचारी शामिल हैं।

27-4

स्पीड ब्रेकर टूटे : शहर के चौराहों पर फिर से दुर्घटना का खतरा

रतलाम | मित्र निवास रोड तिराहा पर लगाए रबर के स्पीड ब्रेकर टूट गए हैं। यहां एक्सीडेंट होना शुरू हो गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी संगठन के क्षेत्रीय सचिव एवं समाजसेवी विजय कुमार सोनी ने बताया एसबीआई और कॉन्वेंट स्कूल के सामने स्टेट बैंक तिराहे पर चारों तरफ से वाहन तेज गति से निकलते हैं। यहां स्पीड ब्रेकर ही नहीं बचे हैं। स्पीड में वाहन निकल रहे हैं। दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उन्होंने स्कूल तिराहे पर आने वाले समस्त मार्गों पर स्पीड ब्रेकर लगवाने का आग्रह किया है। वहीं, नगर निगम एवं जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि समस्त स्कूलों के बाहर हर तरफ से आने वाले मार्ग पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं ताकि बच्चों को सड़क पार करने में परेशानी न हो।

स्वच्छता : कचरा व गंदगी पर मिड टाउन मैरिज हॉल सील, 5000 का जुर्माना

रतलाम | गार्बेज फ्री सिटी (जीएफसी) स्टार रेटिंग के लिए आगामी दिनों में होने वाले सर्वे को लेकर निगम ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिए। 27-4-22

मंगलवार को कचरा व गंदगी फैलाने पर मिड टाउन मैरिज हॉल को सील कर दिया। इतना ही नहीं मैरिज संचालक पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाकर वसूला। कार्रवाई आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर हुई। इसके अलावा 8 अन्य मामलों में स्पॉट फाइन लगाया। इनमें त्रिपुरा वाहन शॉप नाहरपुरा पर 5000 रुपए, मित्र दत्त पर 1000 रुपए, सुमेर, जावेद, राजेश, रितेश पर 500 रुपए, रतन से 300 रुपए का जुर्माना वसूला।

नगर निगम के विभिन्न करों से 10.34 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम। संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करों के तहत 26 अप्रैल को कुल राशि रूपये 10,34,699/- का राजस्व प्राप्त हुआ। नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 26 अप्रैल को संपत्तिकर कार्यालय 488414, वसूली दल 158500 कुल 646914, जलकर कार्यालय से 315390, वसूली दल 41170 कुल 356560, स्पॉट फाईन 10000, दुकान-गुमटी किराया कार्यालय 4528, वसूली दल 16697 कुल 21225 इस तरह कुल राशि रूपये 10,34,699/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

26-4-22

आखिर कब रुकेगा अपनी ही सांस घोटने का ये सिलसिला

हरे-भरे नीम, गुलमोहर, अशोक की नृशंस हत्या

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

कुछ ही महीनों पहले इंसान कोरोना की दूसरी लहर में एक-एक सांस के लिए तरस रहा था, वहीं आज फिर लालच में उसी सांस को घोटा जा रहा है। सेफायर स्कूल के पीछे कॉलोनी काटने के नाम पर बिना किसी अनुमति के एक दर्जन हरे-भरे नीम, गुलमोहर के पेड़ जड़ से ही उखाड़ दिए। जब पर्यावरण प्रेमियों को इसकी खबर लगी तो उन्होंने मौके पर पंहुचकर हंगामा मचाया। कलेक्टर से लेकर मंत्री तक को शिकायत मिलने पर नगर निगम के अधिकारी पंहुचे और जेसीबी जप्त करके पेड़ काटने वालों के खिलाफ पंचनामा बनाकर कार्रवाई शुरु की।

जानकारी के अनुसार सेफायर स्कूल के समीप की जमीन कॉलोनाईजर संदीप व्यास द्वारा खरीदी गई है। यहीं सेफायर स्कूल आने वाले रास्ते पर हरे और बड़े गुलमोहर, अशोक, नीम के करीब 30 से अधिक पेड़ हैं। सोमवार दोपहर को जेसीबी की मदद से कॉलोनाईजर द्वारा पेड़ काटने का काम शुरु कर दिया गया। एक के बाद एक मशीन से 12 हरे पेड़ जड़ से उखाड़ दिए गए।

सूनसान इलाका और आसपास बस्ती नहीं होने से शुरुआत में लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं हुई। हालांकि कुछ ही देर में जब वहां के एक व्यक्ति ने इसका जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी, तो शहर के पर्यावरण प्रेमियों ने तत्काल मौके पर पंहुचकर काम रुकवाया। शुरु में तो जेसीबी चालक और मौके पर कॉलोनाईजर की ओर से खड़े लोग जवाब देने से बचने का और मौके से भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन बाद में लोगों ने उन्हें भी घेर लिया।

कलेक्टर के आदेश पर जब्त हुई जेसीबी

पेड़ काटने की शिकायत पर पंहुचे पर्यावरण प्रेमियों ने काम रुकवाने के साथ ही मौके से फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करना शुरु किए और शिकायतें भी की। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के पास शिकायत पंहुची तो उन्होंने निगम आयुक्त से चर्चा निर्देशित किया। इसके बाद उद्यान निरीक्षक अनिल पारे और टीम मौके पर पंहुची। उन्होंने जेसीबी जप्त करके आईए थाने पहुंचाया, साथ ही पंचनामा बनाया गया। श्री पारे ने बताया कि अब प्रकरण पर निगम आयुक्त और अधिकारियों द्वारा जुर्माना या अन्य कार्यवाही की जाएगी। वृक्ष अधिनियम के तहत 50 हजार रुपए प्रति पेड़ तक का जुर्माना किया जा सकता है।

इन्होंने किया पेड़ों को बचाने का प्रयास

जैसे ही मौके पर पेड़ काटने की सूचना आई वैसे ही अलग-अलग स्तर पर कई पर्यावरण प्रेमियों ने अपने स्तर पर कार्रवाई शुरु कर दी। इसमें अधिवक्ता अदिति दवेसर, प्रीति सोलंकी ने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। युवा समाजसेवी आकाश कोठारी ने भी प्रभारी मंत्री तक को फोन पर शिकायत करते हुए कार्रवाई रुकवाने के लिए कई स्तर पर कोशिश की। पर्यावरण विद् डॉ. खुशालसिंह पुरोहित, संघ के नवीन पाल, पंडित संजय दवे, मनीष दीक्षित आदि ने भी प्रयास किए।

दबंग दुनिया 26-4-22

कल टीएल बैठक में स्वास्थ्य अमले को कहा- छोलाछाप डाक्टरों के विरूद्ध दल गठित करके सख्त कार्रवाई करों

रिंगनोद की घटना के बाद झोलाछाप डाक्टरों पर गुस्साए कलेक्टर

अस्पतालों में डॉक्टर ड्यूटी को लेकर भी दिए निर्देश

• रतलाम

जिले में छोलाछाप डाक्टरों द्वारा मनमर्जी तरीके से किए जा रहे इलाज और इससे होने वाले मरीजों के नुकसान को देखते हुए कलेक्टर ने ऐसे फर्जी डाक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए है। कलेक्टर हाल ही में रिंगनोद में एक बंगाली डाक्टर द्वारा किए गए इलाज से बच्चे की मौत पर भी गुस्साए। कलेक्टर ने अस्पतालों में भी डाक्टरों को समय सीमा में उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा।

सोमवार को संपन्न समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि जिले में फर्जी तथा झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए दल गठित किए जाएं, जांच की जाए, जरूरी एक्शन ली जाए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम रतलाम ग्रामीण सुश्री कृतिका भिमावद, एसडीएम राजेश शुक्ला तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने सभी एसडीएम तथा खंड चिकित्सा अधिकारियों को झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की समय सीमा में उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों एवं कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर्स की ड्यूटी समय पर कराने के लिए भी निर्देशित किया। गौरतलब है कि गत दिवस जावरा के समीप रिंगनोद में बंगाली डाक्टर तपन विश्वास द्वारा किए इलाज से 6 वर्षीय बालक आर्यन की मौत हो गई थी। उक्त डाक्टर इलेक्ट्रो होम्योपैथी डिग्री से एलोपैथी का इलाज फर्जी तरीके से कर रहा था। घटनाक्रम के बाद पुलिस ने डाक्टर को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया है। कलेक्टर ने गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए संचालित आयुष्मति प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि फॉलोअप में ढिलाई नहीं बरती जाएं। अभी देखने में आ रहा है कि कैंप के पश्चात सही ढंग से समय सीमा में फॉलोअप नहीं लिया जा रहा है जो उचित नहीं है। कलेक्टर ने कोविड-19 सेंपलिंग कार्य में सैंपल संख्या वृद्धि के निर्देश दिए। खनिज विभाग की धरपकड़ कार्रवाइयों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने कार्रवाईयां सतत जारी रखने के निर्देश दिए।

स्वानिधि योजना, आयुष्मान कार्ड एवं कोविड की भी समीक्षा

बैठक में कलेक्टर ने पीएम स्वानिधि योजना में 1 हजार हितग्राहियों को राशि वितरण अप्रैल माह के अंत तक करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में 500 हितग्राहियों को राशि वितरण आगामी 30 अप्रैल तक कराने के निर्देश दिए गए। आयुष्मान कार्ड की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने रतलाम ग्रामीण, सैलाना तथा बाजना विकासखंडों में कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि तय समय सीमा में प्रगति नहीं आने पर सैलाना, बाजना, रतलाम ग्रामीण जनपदों के मुख्य कारण अधिकारियों के वेतन रोके जाएंगे तथा एक एक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी।

गांव-गांव में है बंगाली डाक्टर, बीएमओ जानबूझकर करते है अनदेखी

अग्निबाण को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते कई वर्षो से जिले के लगभग हर गांव में बंगाली डाक्टर या अन्य फर्जी डाक्टर लोगों का इलाज कर रहे है तथा मनमाना पैसा वसूल कर रहे है। यह डाक्टर किस भी बीमारी का इलाज करने को तैयार रहते है और बिना जांच के ही दवाईयों के भारी भरकम डोज देते रहते है। ऐसे में कई लोगों को साईड इफेक्ट होता है एवं वे बाद में परेशान होते रहते है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा नहीं है कि इस बारे में विभिन्न ब्लॉक के मेडिकल आफिसर को कोई जानकारी नहीं है, लगभग हर बीएमओं को यह पता है कि उनके ब्लॉक में विभिन्न बंगाली डाक्टर या फर्जी डाक्टर इलाज कर रहे है तथा लोगों की जान से खेल रहे है, लेकिन लापरवाही के चलते और कुछ हद तक सेटिंग के चलते इन बंगाली, फर्जी डाक्टरों पर नकेल नहीं कसी जाती, ऐसे में यह लोगों की जान से खेलते रहते है।

गर्मी में पेयजल संकट से निपटने को लेकर निगमायुक्त एवं सभी एसडीएम को निर्देश

कलेक्टर ने ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत रतलाम शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निगम आयुक्त तथा सभी एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को भी यह सुनिश्चित करने को कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी जल संकट उत्पन्न नहीं हो। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि रतलाम शहर में निगम के 768 नलकूप है तथा सभी चालू हालत में है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शहर में जलापूर्ति के लिए आपूर्ति व्यवस्था में गड़बड़ नहीं हो, जहां पाइप लाइन खराब है तत्काल सुधारी जाए। ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री गोगादे ने बताया कि हटपिपलिया में नल जल योजना का कार्य पूर्ण कराकर आपूर्ति शुरू कर दी गई है। कसारी ग्राम में मंगलवार तक व्यवस्था कर दी जाएगी। कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि पेयजल के लिए जहां भी परिवहन की आवश्यकता हो, तत्काल परिवहन कार्य आरंभ कराएं।

अग्निबाण 26-4

मवेशी खुले छोड़े तो जुर्माना

नवभारत

अमरकंटक में नए निर्माण पर सख्ती से रोक

भोपाल, 26 अप्रैल. मध्यप्रदेश में अब गाय या किसी भी मवेशी को खुला छोड़ने पर मालिक को जुर्माना भरना होगा. कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ है कि आवारा जानवरों पर नियंत्रण के लिए 1

कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री चौहान ने लिया फैसला

हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा. कैबिनेट में रखे गए अध्यादेश में 5 हजार रुपए जुर्माना तय हुआ था. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे घटाकर एक हजार रुपए किया।

मीटिंग में एक और बड़ा फैसला अमरकंटक में नए निर्माण पर रोक को लेकर भी हुआ. सीएमने कहा कि अमरकंटक में किसी भी कीमत पर नए निर्माण नहीं होंगे. अमरकंटक को एक सैटेलाइट सिटी बनाएंगे - मैकल पर्वत के नीचे. वहां लोग होटल-रेस्टोरेंट बनाएं. लेकिन, पर्वत से ऊपर हम अनुमति नहीं देंगे. हां, जो पहले से और लीगल हैं, उनको लेकर बात नहीं की जा रही. नया निर्माण मंजूर नहीं किया जाएगा. हमें कड़े फैसले करने होंगे, तभी नर्मदाजी रहेंगी. नर्मदा जी रहेंगी तो ही मध्यप्रदेश रहेगा. सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी है. यह बोर्ड प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम करेगा. एक स्वशासी निकाय (ऑटोनोमस बॉडी) होगा. अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे. बोर्ड में पदेन संचालक होंगे. कलेक्टर्स की अध्यक्षता में अलग से कमेटी बनेगी. 17 पदों को मंजूरी दी गई है. फसल के विविधिकरण प्रोत्साहन के लिए भी मंजूरी दी गई है, इसके अंतर्गत गेहूं और धान के स्थान पर होने वाली गैर एमएसपी फसलों को लिया जाएगा. इसके तहत परंपरागत खेती को छोड़कर अश्वगंधा, तुलसी सहित अन्य खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ये भी लिए गए निर्णय

- संत रविदास स्वरोजगार, डॉ. अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को मंजूरी।
- मौजूद सरकारी जमीनें, फर्म को 100 फीसदी राशि जमा करने पर दी जाएगी।
- घूमंतू एवं अर्धघूमंतू जनजातीय विभाग का नाम बदलकर विमुक्त घूमंतू एवं अर्धघूमंतू कल्याण विभाग किया गया है। 26-4-22
- दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल खोला जाएगा. नए पद बनाए जाएंगे।
- ट्रेंड आईटीआई एल्युमिनी रीच ऑफ मध्यप्रदेश फाउंडेशन के तहत पहले चरण में 32 और दूसरे चरण में 10 सरकारी टीआईटी कॉलेज खोले जाएंगे.
- सहकारिता विभाग की जिला भूमि विकास बैंक खरगोन को 14:03 करोड़ रुपए में सुनील कुमार गोयल को देने का निर्णय लिया है.

प्रदेश की सड़क या सार्वजनक स्थानों पर

मवेशी मिले तो पशु मालिकों पर लगेगा एक हजार रुपये जुर्माना

दैनिक अव. तका ▶▶ भोपाल

27-4-22

मध्य प्रदेश में सड़क या सार्वजनिक स्थान र किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या उपे... पूर्वक किसी मवेशी या अन्य पशु को छोड़ा या बांधा जाता है तो संबंधित व्यक्ति से एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जुर्माना राशि पांच हजार रुपये प्रस्तावित की थी लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे एक हजार रुपये रखने के निर्देश दिए।

बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर मवेशी या अन्य पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है। इसके कारण व्यक्तियों को क्षति, संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है और यातायात भी बाधित होता है।

ज्ञापन • प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए श्री साईं सेवा समिति ट्रस्ट पहुंचा जिला प्रशासन के पास

श्री साईं मंदिर आने वाले भक्तों, कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं परेशान

भास्कर संवाददाता | रतलाम

बड़ी संख्या में साईं भक्त ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन तहसीलदार सोनी को सौंपा।

शास्त्री नगर स्थित श्री साईं मंदिर के पास में रहने वाले परिवार के सदस्यों द्वारा मंदिर में आने वाले भक्तों, ट्रस्ट के पदाधिकारियों, सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। मंदिर के कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए मीडिया की धौंस देते हुए ब्लैकमेल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। गलत प्रचार कर साम्प्रदायिकता भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में इन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए।

यह मांग श्री साईं सेवा समिति ट्रस्ट ने मंगलवार दोपहर कलेक्टर के नाम तहसीलदार गोपाल सोनी को दिए ज्ञापन में की। ज्ञापन में बताया गया कि शास्त्री नगर स्थित श्री साईं मंदिर 30 सालों से शहर का प्रमुख धार्मिक स्थल है। मंदिर के पास रहने वाले परिवार द्वारा घर के बाहर अतिक्रमण कर रखा है जिससे श्रद्धालुओं को आने में परेशान हो रही है। गुरुवार के दिन निराश्रितों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। मंदिर परिसर में स्थित बगीचे पर एकाधिकार कर उसमें मनमाने अस्त-व्यस्त तरीके से पौधे व घास-फूस लगा रखे और लोहे की बेंच रखकर रास्ता बंद कर रखा है। नगर निगम द्वारा पूर्व में बाउंड्रीवाल नहीं बनाने के लिए कई आपत्तियां इनके द्वारा लगाई गई थी। कई मुद्दों को लेकर पूर्व में भी इनकी शिकायत ट्रस्ट के माध्यम से की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ट्रस्ट द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से संबंधित के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन सौंपते समय समिति ट्रस्ट के डॉ. प्रदीप कोठारी, अनिल सिसोदिया, दीपक चौहान, सोनू भटनागर, चंदू बैरागी, सुनील सोलंकी, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डॉ. जितेंद्र वर्मा, राजेश शिवानी, विक्की जैन, बंटी सोनी, श्रेयस कोलंबकर, पंकज बंजारा, पंकज गगरानी, प्रहलाद सोलंकी, विवेक सिसोदिया, चंदू बैरागी, दीपक चौहान आदि मौजूद रहे।

27-4-22

मध्यप्रदेश कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले

मवेशी खुले छोड़े तो 1 हजार रुपए जुर्माना

अमरकंटक में नए निर्माण पर रोक

भोपाल(ब्यूरो)। मध्यप्रदेश में अब गाय या किसी भी मवेशी को खुला छोड़ने पर मालिक को जुर्माना भरना होगा। कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ है कि आवारा जानवरों पर नियंत्रण के लिए 1 हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा। कैबिनेट में रखे गए अध्यादेश में 5 हजार रुपए जुर्माना तय हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे घटाकर एक हजार रुपए किया।

मीटिंग में एक और बड़ा फैसला अमरकंटक में नए निर्माण पर रोक को लेकर भी हुआ। उट ने कहा कि अमरकंटक में किसी भी कीमत पर नए निर्माण नहीं होंगे। अमरकंटक को एक सैटेलाइट सिटी बनाएंगे - मैकल पर्वत के नीचे। वहां लोग होटल-रेस्टोरेंट बनाएं। लेकिन, पर्वत से ऊपर हम अलाऊ नहीं करेंगे। हां, जो पहले से और लीगल हैं, उनको लेकर बात नहीं की जा रही। नया निर्माण मंजूर नहीं किया जाएगा। हमें कड़े फैसले करने होंगे, तभी नर्मदाजी रहेंगी। नर्मदा जी रहेंगी तो ही मध्यप्रदेश रहेगा।

सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी है। यह बोर्ड प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम करेगा। एक स्वशासी निकाय (ऑटोनोमस बॉडी) होगा। अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। बोर्ड में पदेन संचालक होंगे। कलेक्टर्स की अध्यक्षता में अलग से कमेटी बनेगी। 17 पदों को मंजूरी दी गई है। फसल के विविधिकरण प्रोत्साहन के लिए भी मंजूरी दी गई है, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स की निर्भरता कम हो जाए। इसके अंतर्गत गेहूं और धान के स्थान पर होने वाली गैर एमएसपी फसलों को कवर किया जाएगा। इसके तहत परंपरागत खेती को छोड़कर अश्वगंधा, तुलसी सहित अन्य खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ये निर्णय भी लिए गए

- संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को मंजूरी।
- जिलों में मौजूद सरकारी जमीनें, फर्म को 100% राशि जमा करने पर दी जाएगी।
- घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजातीय विभाग का नाम बदलकर विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू कल्याण विभाग किया गया है।
- दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल खोला जाएगा। नए पद बनाए जाएंगे।
- ट्रेड आईटीआई एल्युमिनी रीच ऑफ मध्यप्रदेश फाउंडेशन के तहत पहले चरण में 32 और दूसरे चरण में 10 सरकारी आईटीआई कॉलेज खोले जाएंगे। इनमें एक से तीन ट्रेड संचालित होंगे।

27-4-22

नेशनल लोक अदालत 14 मई को, प्रचार रथ रवाना

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। देशभर के साथ ही 14 मई को रतलाम जिला न्यायालय व सैलाना, आलोट और जावरा तहसील न्यायालय में भी नेशनल लोक अदालत लगेगी। इसमें आपसी समझौतों के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। मंगलवार सुबह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेशकुमार गुप्ता ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राजेशकुमार गुप्ता ने न्यायाधीशों की बैठक लेकर उनसे अधिक से अधिक प्रकरणों को चिह्नित कर नेशनल लोक अदालत में उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। नेशनल लोक अदालत में 315 आपराधिक, चेक बाउंस के 1230, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के 401, लेबर के प्रकरण 105, बिजली कंपनी के 240, वैवाहिक के 83, सिविल के 626, भरण पोषण आदि के 281 प्रकरण निराकरण के लिए रखे जाएंगे।

प्रचार रथ को झंडी दिखाकर रवाना करते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेशकुमार गुप्ता। ● नईदुनिया

रतलाम के 326 हितग्राही होंगे लाभान्वित

रतलाम। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान 26 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत नगर के बीएलसी घटक के पात्र हितग्राहियों को कार्य की प्रगति के आधार देय किस्तों (प्रथम, द्वितीय व तृतीय) का सिंगल क्लिक द्वारा वितरण करेंगे। कार्यक्रम विधायक चेतन्य काश्यप के मुख्य आतिथ्य में गुलाब चक्कर में आयोजित होगा, जहां भोपाल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एलईडी स्क्रीन पर किया जाएगा। नगरीय क्षेत्र रतलाम के बीएलसी घटक के पात्र 31 हितग्राहियों को प्रथम, 99 हितग्राहियों को द्वितीय व 196 हितग्राहियों को तृतीय किस्त के रूप में कुल 228 लाख की राशि का वितरण किया जाएगा।

सुबह की बजाय शाम को मिल रहा पानी, लोग परेशान, तीन टंकियों से आपूर्ति प्रभावित

कलेक्टर ने दिए निर्देश, जरूरी हो तो निजी बोरवेल का अधिग्रहण करें

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर में एक दिन छोड़कर किए जा रहे जल वितरण में पोलोग्राउंड व गंगासागर टंकी से गत एक सप्ताह से सुबह की बजाय दोपहर या शाम को सप्लाई की जा रही है। इससे लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। मंगलवार को पोलोग्राउंड व गंगासागर टंकी के साथ ही म्लोवस टंकी से भी शाम को आपूर्ति की गई।

मालूम हो कि धोलावड़ में जलस्तर कम होने से टंकियां समय पर नहीं भर पा रही हैं। इधर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निगमायुक्त, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यकता पड़ने पर निजी बोरवेल तथा कुएं भी अधिग्रहित किए जाएं। हरसंभव कदम उठाकर यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थान पर जल समस्या उत्पन्न नहीं हो। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि जिन गांवों में पेयजल के परिवहन की आवश्यकता है उन सूचीबद्ध करके नियोजित ढंग से उपलब्ध करवाया जाए। निगमायु को सोमनाथ झारिया को पाइपलाइन लीकेज दुरस्त कराने के लिए कहा गया

लाड़ली लक्ष्मी उत्सव दो से 11 मई तक

रतलाम। लाड़ली लक्ष्मी उत्सव दो 11 मई तक आयोजित किया जाए दो मई को मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा भोपाल से लाड़ली लक्ष् बालिकाओं से बात की जाएगी। जिस वर्चुअल प्रसारण सभी ग्राम पंचायतो दिखाया जाएगा।

जनसभा में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे।

निजी मजदूर लगाकर करवा रहे सफाई

रतलाम. आनंद कॉलोनी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पटरी से उतरने से रहवासी परेशान हो गए हैं। रहवासी निजी मजदूर लगा सफाई करवाने पर मजबूर हो गए हैं। क्षेत्र के वेहदत पठान, मोहन बोरिया, दीपक चितले, सैयद शाहिद मीर, गीता देवी, देवेंद्र शर्मा, हर्ष शर्मा, प्रमोद शर्मा आदि ने बताया की सफाई कर्मी - कभी आते हैं और आते भी है रोड की सफाई कर चले जाते हैं। नाली में जमा गंदगी के चलते पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। मंगलवार को निजी मजदूर लगा नाली की सफाई करा ... और गाद निकाली गई।

27 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षको द्वारा वार्डो मे प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 25 अप्रैल को प्रातः 19 व दोपहर में 6 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिपट मे उपस्थित रहते है व दोपहर की शिपट मे बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

25 अप्रैल सोमवार को झोन क्रमांक 1 में पुष्पाबाई पति प्रहलाद, बादल-दिलीप, उमेश-प्रहलाद, विजय-सुरेश, अजय-विनोद, विजय-फुलचन्द, झोन क्रमांक 2 में धनराज-बसंत, विक्रम-रामलाल, रानीबाई पति धीरज, राजु-अब्जी, उषाबाई पति धन्नालाल, संगीताबाई पति अनिल, रेखाबाई पति जगदीश, इन्द्राबाई पति दिनेश, दीपक-राजु, कन्हैया-कमल, संजय-शिव, झोन क्रमांक 3 मुकेश-दिनेश, रीना पति मुकेश, दोपहर की शिपट में झोन क्रमांक 2 में रघुवीर-पूनमचन्द, नरेन्द्र-पप्पू, मनोरमा बाई पति मदन, अनिताबाई पति दीपक, लक्ष्मीबाई पति दीपक, झोन क्रमांक 3 में दिनेश-बाबुरामा इस तरह 25 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

रात्रिकालिन सफाई के 10 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा 24 अप्रैल रविवार को निरीक्षण किये जाने पर राहुल-राजकपूर, अमन सुदेश, अमित-बालकिशन, संदीप-संजय, विक्रम-कुन्दन, राकेश-रमेश, महेश-मिट्ठू, सुनील-रतन व तेजकिरण-देवकरण द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश संबधित को दिये।

नगर निगम के विभिन्न करों से 11.98 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम। संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन-के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 25 अप्रैल को कुल राशि रूपये 11,98,622/- का राजस्व प्राप्त हुआ। नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 25 अप्रैल को संपत्तिकर कार्यालय 396618, वसूली दल 120000 कुल 516618, जलकर कार्यालय से 395865, वसूली दल 131440 कुल 527305, स्पॉट फाईन 30000, दुकान-गुमटी किराया कार्यालय 77990, वसूली दल 14788 कुल 92778 व कम्पाउडिंग फीस 31921 इस तरह कुल राशि रूपये 11,98,622/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आज

रतलाम। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्टर कुमार पुरुषोतम की अध्यक्षता मे 26 अप्रैल को सायंकाल 5 बजे कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी।

27 अप्रैल को 21 हजार परिवारों को गृह प्रवेश कराएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

शिव 'राज' में हर गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना होगा साकार

26-4-22

भोपाल, अग्निबाण संवाददाता

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर गरीब का अपना पक्का मकान हो। इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जल्द ही हर गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना साकार किया जाएगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 अप्रैल को एक लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे। वे 21 हजार परिवारों को गृह प्रवेश कराएंगे और 30 हजार से अधिक आवासों के लिए भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित होगा। इस मौके पर सिंगल क्लिक से 50 हजार हितग्राहियों के बैंक खातों में 500 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे। इन आवासों की लागत 3900 करोड़ रुपए है। उधर, प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सहित नागरिक और लाभार्थी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हितग्राहियों से वर्चुअल चर्चा भी करेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, विभाग के राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर व्यक्ति का अपना पक्का मकान होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2024 तक हर व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इसी संकल्प को पूरा करने के लिये प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस योजना में तेजी से कार्य जारी है और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 29 मार्च को प्रदेश के 5 लाख 21 हजार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गृह-प्रवेश (वर्चुअल) कराया था। प्रदेश में अभी तक इस योजना में 24 लाख 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं।

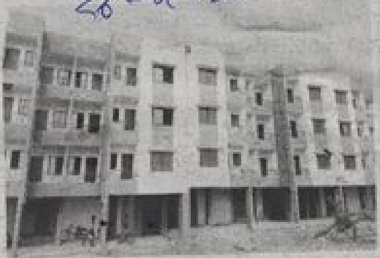

▶ कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में यह कार्यक्रम किया जाएगा

मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को लाभ वितरण करेंगे

रतलाम। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान 27 अप्रैल को भोपाल मिंटो हाल से दोपहर 3 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक द्वारा राशि लाभ वितरण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। रतलाम में गुलाब चक्कर पर कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के पात्र हितग्राहियों को कार्य की प्रगति के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्त राशि का मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सिंगल क्लिक द्वारा वितरण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा भूमिपूजन तथा गृह प्रवेश भी कराया जाएगा। जिले के प्रत्येक निकाय में कार्यक्रम आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री के उद्बोधन के प्रसारण हेतु प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था रहेगी।

26-4

मुख्यमंत्री चौहान 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री आवास योजना

रतलाम। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान 27 अप्रैल को भोपाल मिंटो हाल से दोपहर 3 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक द्वारा राशि लाभ वितरण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। रतलाम में गुलाब चक्कर पर कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के पात्र हितग्राहियों को कार्य की प्रगति के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्त राशि का मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सिंगल क्लिक द्वारा वितरण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा भूमि पूजन तथा गृहप्रवेश भी कराया जाएगा। जिले के प्रत्येक निकाय में कार्यक्रम आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री के उद्बोधन के प्रसारण हेतु प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था रहेगी।

आवश्यकता होने पर निजी बोरवेल के अधिकृत किए जाएं

27-4

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने ग्रीष्मकाल के मद्देनजर निगमायुक्त, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। कलेक्टर ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर निजी बोरवेल तथा कुएं भी अधिग्रहित किए जाए, ताकि हरसंभव कदम उठाकर हमें यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थान पर जल समस्या उत्पन्न नहीं हो। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि जिन गांवों में पेयजल के परिवहन की आवश्यकता है उन गांव को सूचीबद्ध करके नियोजित ढंग से जल उपलब्ध करवाया जाए। निगमायुक्त को निर्देशित किया है कि पाइप लाइन्स में जहां भी लीकेज है वहां तत्काल दुरुस्ती करवाएं।

कलेक्टर ने जनसुनवाई में जनहित से जुड़े अधिकारियों को अनिवार्य उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जनसुनवाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जनहित से जुड़े समस्त विभागों के अधिकारियों को जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अनिवार्य रुप से उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया है। अधिकारी प्रातः 11 बजे के पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। अपने विभाग में लंबित जनसुनवाई के प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी के साथ आएंगे।

कलेक्टर ने जिन विभागों को मुख्य रूप से जनसुनवाई व्यवस्था में अनिवार्य उपस्थिति के लिए निर्देशित किया है उन्हें कलेक्ट्रेट भवन में स्थित समस्त जिला अधिकारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री, नगर निगम आयुक्त, रतलाम ग्रामीण एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कार्यपालन यंत्री विद्युत वितरण कंपनी तथा रतलाम ग्रामीण तहसीलदार सम्मिलित है।

नेशनल लोक अदालत 14 मई को प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी

27-4-22

रतलाम (आरएनएन)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश, प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जावेगा।

नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जि.वि.से.प्रा. राजेश कुमार गुप्ता द्वारा समस्त न्यायाधीशगण के साथ बैठक कर उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें निराकृत करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष द्वारा नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु न्यायालय परिसर में ऑटोरिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही समस्त न्यायाधीशगणों की बैठक आयोजित की गई तथा तहसीलों के न्यायाधीशगणों की बैठक वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से बैठक ली गई तथा अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण 315, चैक बाउंस प्रकरण 1230, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 401, लेबर प्रकरण 105, विद्युत प्रकरण 240, वैवाहिक प्रकरण 83, सिविल प्रकरण 626, अन्य (भरण पोषण आदि) 281प्रकरण रखे गए है। उक्त लोक अदालत की तैयारी हेतु अन्य विभागों जैसे बैंक, एमपीईबी, नगर पालिक निगम, बी.एस.एन.एल. के लेखाधिकारी, मोटर क्लेम प्रकरणों हेतु बीमा कंपनियों तथा उनके व आवेदकगण के अधिवक्तागण की बैठकें आयोजित की गई है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों को निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा आगामी नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया है।

किया जाएगा निराकरण

लोक अदालत में शमनीय प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, भरण पोषण एवं वैवाहिक विवादों से संबंधित प्रकरण, शमनीय प्रकरण, विद्युत चोरी के प्रकरण तथा संपत्तिकर, जलकर, एवं बैंक व अन्य विभागों के बकाया राशि के वसूली प्रकरणों का राजीनाम के आधार पर निराकरण किया जावेगा जिनमें विभिन्न विभागों द्वारा शासन के दिशा निर्देशानुसार वसूली राशि में छूट भी प्रदान की जाएगी।

लोक अदालत 14 मई को

27-4

रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश, प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जि.वि.से.प्रा. श्री राजेश कुमार गुप्ता द्वारा समस्त न्यायाधीशगण के साथ बैठक कर उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें निराकृत करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष द्वारा नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु न्यायालय परिसर में ऑटोरिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही समस्त न्यायाधीशगणों की बैठक आयोजित की गई तथा तहसीलों के न्यायाधीशगणों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली गई तथा अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण 315, चैक बाउंस प्रकरण 1230, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 401, लेबर प्रकरण 105, विद्युत प्रकरण 240, वैवाहिक प्रकरण 83, सिविल प्रकरण 626, अन्य (भरण पोषण आदि) 281प्रकरण रखे गए है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पहले सुबह और फिर शाम को की समीक्षा

किसी भी गांव, नगर में न हो पेयजल संकट : मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान

भोपाल ● एजेंसी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्रीष्म ऋतु में शहर हो या गाँव, सभी जगह पीने के पानी के पर्याप्त प्रबंध करना हमारा दायित्व है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतें अपने दायित्वों के निर्वहन में तत्पर बने रहे। जिन स्थानों पर पेयजल की कमी की जानकारी समाचार-पत्रों, सोशल मीडिया आदि से प्राप्त हो, उसका तत्काल समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज प्रातः मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में पेयजल प्रबंध की समीक्षा की थी। उन्होंने शाम को पुनः मंत्रालय में प्रदेश की पेयजल योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जहाँ किसी योजना के कार्य अधूरे हैं, उन्हें तत्काल पूरा किया जाए। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव और मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हैंडपंप सुधार कार्य के लिए सभी जिलों में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ गठित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा और नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पेयजल आपूर्ति के बारे में चर्चा की। बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख 57 हजार हैंडपंप और 16 हजार 915 नल जल कनेक्शन हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 95.80व हैंडपंप चालू स्थिति में हैं। ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अमला सक्रिय है। हैंडपंप के सतत संचालन के लिए विभागीय और आउटसोर्स अमला कार्यरत है। जल-स्तर गिरने की स्थिति में हैंडपंप में मोटर पंप की सहायता से आवश्यक व्यवस्था की जाएगी जिससे पेयजल की अ
बिना बाधा होती रहे। प्रदेश में
हजार से अधिक सिंगल फेस
पंप उपलब्ध हैं। सभी जिलों में है
सुधार कार्य के लिए शिक
निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया
है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ि
जनपद एवं ग्राम पंचायत काय
में पेयजल समस्या की शिकाय
लिए रजिस्टर संधारित करने
निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि है
सुधारने के लिए विकासखंड स्त
मोबाइल टीम गठित की जाए।
ऋतु में पेयजल समस्या के निदा
लिए 5000 नये हैंडपंप लगाने
लक्ष्य निर्धारित कर तेजी से काय
किया जाए। बताया गया कि स
हेल्पलाइन पर वर्ष 2021-2
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ए
सूची में शामिल रहा है। स
हेल्पलाइन की 1 लाख 94
768 शिकायतों का पूर्ण निरा
किया गया है।

प्रताप नगर ब्रिज के नीचे कब्जा कर रखे भूसे में लगी आग

ज्यादा तापमान से ब्रिज नहीं टूट जाए इसलिए 5 घंटे जुटे रहे बुझाने में, कब्जेदार पर सेतु निगम करवाएगा केस

भास्कर संवाददाता | रतलाम

27-4-2

प्रताप नगर ब्रिज के नीचे की जमीन पर कब्जा कर रखे भूसे में मंगलवार शाम आग लग गई। दस से ज्यादा फायर ब्रिगेड गाड़ी से पानी डालने के बावजूद भूसे में रह-रहकर आग लगती रही और तेज होती रही। इसे बुझाने में पांच घंटे तक अमला जुटा रहा। सेतु निगम के एसडीओ आरके गुप्ता ने बताया लगातार तापमान तेज रहने से ब्रिज टूट नहीं जाए इसलिए आग बुझाने में लगे रहे। कब्जा करने वाले के खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। पुलिस ने कब्जा करने वाले सज्जाद कुरैशी को पूछताछ के लिए थाने ले गई।

प्रताप नगर ब्रिज के पास में ही रहने वाले सज्जाद कुरैशी ने ब्रिज के प्रताप नगर वाले हिस्से के नीचे कब्जा कर मवेशियों का बाड़ा बना रखा है। मवेशी बांधने के साथ उन्हें खिलाया जाने वाला भूसा भर रखा था। जिसमें आग लग गई। इसमें एक पशु का पीछे का कुछ हिस्सा झुलस गया। आग बुझाने के लिए नगर निगम से 10 से ज्यादा फायर लॉरी पहुंची। स्टेशन रोड थाना टीआई किशोर पाटनवाला ने बताया सज्जाद कुरैशी को पूछताछ के लिए लाए हैं।

प्रताप नगर ब्रिज के नीचे कब्जा कर रखे भूसे में आग लग गई। यहां तबेला भी था।

सज्जाद कुरैशी ने सालों से कर रखा है कब्जा

सेतु निगम के आरके गुप्ता व राजस्व विभाग के आरआई मेहरबानसिंह मालवीय ने बताया यहां क्षेत्र के निवासी सज्जाद कुरैशी का कब्जा पाया है। उसने यहां सालों से तबेला बना रखा है। सेतु निगम के आवेदन पर इसे यहां से कब्जा हटाया जाएगा।

आसपास लकड़ी की टाल, आग वहां पहुंचती तो होता बड़ा नुकसान : जहां आग लगी उसके आसपास लकड़ी की टाल है। अगर आग यहां तक पहुंच जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था।

बढ़ रहे हैं अवैध कब्जे, प्रशासन का ध्यान नहीं

शहर में लगातार कब्जे बढ़ रहे है लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। इसका ताजा उदाहरण प्रताप नगर ब्रिज के नीचे सालों से कब्जा कर चलाया जा रहा तबेला है। ब्रिज के नीचे तबेला चलने के साथ ओर भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। किसी ने यहां लकड़ियां जमा कर टाल बना रखी है तो किसी ने यहां वाहन स्टैंड बना रखा है। यदि यहां सुकले में आग नहीं लगती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ब्रिज के नीचे कब्जा है। इस तरह शहर के बाकी हिस्से में भी लोग कब्जे कर रहे हैं लेकिन प्रशासन के पास रिपोर्ट नहीं पहुंच रही है। क्योंकि कब्जे के इस खेल में कई लोग मिले हुए हैं।

मवेशियों को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ा तो एक हजार रुपये जुर्माना

सख्ती ● मप्र नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सड़क या सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी या अन्य पशु को छोड़ा या बांधा जाता है तो संबंधित व्यक्ति से एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इस प्रविधान वाले मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश-2022 के प्रारूप को शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जुर्माना राशि पांच हजार रुपये प्रस्तावित की थी, लेकिन मंत्रियों के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने इसे एक हजार रुपये रखने के निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की।

दरअसल, प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में मवेशी या अन्य पशुओं को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ना या बांधना बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थीं। कोर्ट ने इन पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को विचरण करने वाले बेसहारा पशुओं के संबंध में नियमित कार्रवाई, जुर्माने की राशि के संबंध में निर्देश दिए थे। मंगलवार को हुई बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जुर्माना राशि पांच हजार रुपये प्रस्तावित की थी, लेकिन गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा, उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाह सहित अन्य मंत्रियों ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए कम करने का सुझाव दिया था।

सख्ती की वजह : नगरीय क्षेत्रों व सड़कों पर मवेशी या अन्य पशुओं वजह से होती है दुर्घटनाएं, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने उठाया कदम

अब नियम : नगरीय क्षेत्रों में सड़क या सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर किसी मवेशी या अन्य पशु को छोड़ा या बांधा तो देना पड़ेगा जुर्माना

कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से चर्चा करते मुख्यमंत्री चौहान। ● सौजन्य : जनसंपर्क विभाग

स्वरोजगार की योजनाओं को स्वीकृति

राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए स्वरोजगार की संत रविदास स्वरोजगार योजना, डा. भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना को स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व में कर चुके हैं।

27-4-22

अब तक यह होती थी कार्रवाई और जुर्माना

- अब तक कार्रवाई मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रविधानों के तहत होती थी।
- सिर्फ घोड़े को खुला छोड़ने पर अधिकतम पांच सौ रुपये जुर्माने का प्रविधान था।
- नगर पालिका अधिनियम 1961 में अन्य पशुओं को खुला छोड़ने पर पहली बार में 25 और दूसरी बार में 50 रुपये के जुर्माने का प्रविधान था।

यह होगा प्रविधान

जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा अन्य स्थान पर खुला छोड़ने या बांधने से किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है, लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकट उत्पन्न होता है तो अधिकतम एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को

।।सारण न्यूज • रतलाम

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश, प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जावेगा।

नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जि.वि.से.प्रा. राजेश कुमार गुप्ता द्वारा समस्त न्यायाधीशगण के साथ बैठक कर उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें निराकृत करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष द्वारा नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु न्यायालय परिसर में ऑटोरिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही समस्त न्यायाधीशगणों की बैठक आयोजित की गई तथा तहसीलों के न्यायाधीशगणों की बैठक वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से बैठक ली गई तथा अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

नेशनल लोक अदालत में ऑपराधिक प्रकरण 315, चैक बाउंस प्रकरण 1230, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 401, लेबर प्रकरण 105, विद्युत प्रकरण 240, वैवाहिक प्रकरण 83, सिविल प्रकरण 626, अन्य (भरण पोषण आदि) 281 प्रकरण रखे गए है। उक्त लोक अदालत की तैयारी हेतु अन्य विभागों जैसे बैंक, एमपीईबी, नगर पालिक निगम, बी.एस.एन.एल. के लेखाधिकारी, मोटर क्लेम प्रकरणों हेतु बीमा कंपनियों तथा उनके व आवेदकगण के अधिवक्तागण की बैठके आयोजित की गई है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों को निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा आगामी नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया है।

लोक अदालत में शमनीय प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, भरण पोषण एवं वैवाहिक विवादों से संबंधित शमनीय प्रकरण, विद्युत चोरी के प्रकरण तथा संपत्तिकर, जलकर, एवं बैंक व अन्य विभागों के बकाया राशि के वसूली प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा, जिनमें विभिन्न विभागों द्वारा शासन के दिशा निर्देशानुसार वसूली राशि में छूट भी प्रदान की जाएगी।

सूचना के अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

27 सफाई मित्रों का 1 दिन का वेतन काटा

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क 27-4-22

वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 27 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

25 अप्रैल सोमवार को झोन क्रमांक 1 में पुष्पाबाई पति प्रहलाद, बादल-दिलीप, उमेश-प्रहलाद, विजय-सुरेश, अजय-विनोद, विजय-फुलचन्द, झोन क्रमांक 2 में धनराज-बसंत, विक्रम-रामलाल, रानीबाई पति धीरज, राजु-अब्जी, उषाबाई पति धन्नालाल, संगीताबाई पति अनिल, रेखाबाई पति जगदीष, इन्द्राबाई पति दिनेष, दीपक-राजू, कन्हैया-कमल, संजय-शिव, झोन क्रमांक 3 मुकेष-दिनेश, रीना पति मुकेष, दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में रघुवीर-पूनमचन्द, नरेन्द्र-पप्पू, मनोरमा बाई पति मदन, अनिताबाई पति दीपक, लक्ष्मीबाई पति दीपक, झोन क्रमांक 3 में दिनेश-बाबुरामा इस तरह 25 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा-जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

मिड टाउन मैरिज हॉल सील कर किया 5000 का जुर्माना, कचरा, गंदगी व अतिक्रमण करने पर 8 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं, उन पर लगाम लगाने हेतु संबधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 26 अप्रैल को 8 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया, साथ ही मिड टाउन मैरिज हॉल को कचरा एवं गंदगी करने पर सील कर 5000 की राशि का जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार त्रिपुरा वाईन शॉप नालपुरा पर 5000, मितदत्त पर 1000, सुमेर, जावेद, राजेश, रितेश पर 500-500 व रतन पर 300 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी, अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देशन में स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

27-4-22

जरुरत पड़ने पर निजी बोरवेल अधिकृत करें : कलेक्टर

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने ग्रीष्मकाल के मद्देनजर निगमायुक्त, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर निजी बोरवेल तथा कुए भी अधिग्रहित किए जाए ताकि हरसंभव कदम उठाकर हमें यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थान पर जल समस्या उत्पन्न नहीं हो। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि जिन गांवों में पेयजल के परिवहन की आवश्यकता है उन गांव को सूचीबद्ध करके नियोजित ढंग से जल उपलब्ध करवाया जाए। निगमायुक्त को निर्देशित किया है कि पाइप लाइंस में जहां भी लीकेज हैं वहां तत्काल दुरुस्ती करवाएं।

27-4

जनसुनवाई में जनहित से जुड़े अधिकारियों को अनिवार्य उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया

27-4

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जनसुनवाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जनहित से जुड़े समस्त विभागों के अधिकारियों को जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अनिवार्य रुप से उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया है। अधिकारी प्रात: 11 बजे के पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। अपने विभाग में लंबित जनसुनवाई के प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी के साथ आएंगे। कलेक्टर ने जिन विभागों को मुख्य रूप से जनसुनवाई व्यवस्था में अनिवार्य उपस्थिति के लिए निर्देशित किया है उन्हें कलेक्ट्रेट भवन में स्थित समस्त जिला अधिकारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री, नगर निगम आयुक्त, रतलाम ग्रामीण एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कार्यपालन यंत्री विद्युत वितरण कंपनी तथा रतलाम ग्रामीण तहसीलदार सम्मिलित है।

आज शहर के 326 कच्चे मकानों को पक्का बनाने 2.28 करोड़ रु. देंगे सीएम

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शहर के 326 परिवारों के कच्चे मकान इस साल पक्के बन जाएंगे। बुधवार को गुलाब चक्कर में दोपहर 2.30 बजे से विधायक चेतन्य काश्यप के मुख्य आतिथ्य में होने वाले कार्यक्रम में 326 हितग्राहियों को 2.28 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। 27-4-22

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान की उपस्थित में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सम्मेलन केंद्र में होगा। इसमें शहर के बीएलसी घटक के पात्र हितग्राहियों को कार्य प्रगति के आधार पर पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से दी जाएगी। इसमें भी 31 को पहली, 99 को दूसरी और 196 हितग्राहियों को तीसरी किस्त दी जाएगी।

समूहों की महिलाओं ने बैंक शाखाओं में पहुंचकर प्रबंधकों का आभार माना

वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा 14 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया

प्रसारण न्यूज • रतलाम

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत रतलाम जिले में गठित किए गए महिला स्वयं सहायता समूहों को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा की गई सतत मॉनिटरिंग के परिणामस्वरुप विभिन्न बैंकों द्वारा लगभग 14 करोड़ रुपए का ऋण लाभ स्वीकृत कर वितरण किया गया है। बैंक शाखाओं द्वारा प्रदत्त ऋण से समूह सदस्यों द्वारा विविध आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ की गई, जिससे उनके परिवार में समृद्धि आई है।

बैंकों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए गत 25 अप्रैल को जिले की स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों ने बैंक शाखाओं में पहुंचकर शाखा प्रबंधकों और अन्य बैंककर्मियों का आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने कहा कि हम आपके आभारी हैं कि आपने समूहों को ऋण प्रदान कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में सहयोग किया है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान हम व्यवसाय को लेकर अत्यंत परेशान थे, लॉकडाउन के कारण कामकाज बंद हो गया था आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे।

ऐसे समय में बैंकों द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित समूह की सदस्यों को ऋण देकर मदद की है उससे हमारे परिवारों को आर्थिक संबल मिला है।

समूह सदस्यों द्वारा आजीविका के विभिन्न गतिविधियों जैसे सब्जी की दुकान, फूल की दुकान, किराना दुकान, मनिहारी की दुकान जैसी गतिविधियां आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए की जा रही हैं। समूह सदस्यों द्वारा प्रबंधकों का आभार व्यक्त करते हुए फूल-मालाओं से अभिनंदन किया।

27-4-22

झोलाछाप पर कार्रवाई शुरू करें, गठित होगा दल

सिंघम रिपोर्टर ❑ रतलाम 26-4-2

सोमवार को संपन्न समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि जिले में फर्जी तथा झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए दल गठित किए जाएं, जांच की जाए, जल्दी एक्शन ली जाए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम रतलाम ग्रामीण सुश्री कृतिका भिमावद, एसडीएम राजेश शुक्ला तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम तथा खंड चिकित्सा अधिकारियों को झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की समय सीमा में उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों एवं कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर्स की ड्यूटी समय पर कराने के लिए भी निर्देशित किया।

कलेक्टर ने ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत रतलाम शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निगम आयुक्त तथा सभी एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को भी यह सुनिश्चित करने को कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी जल संकट उत्पन्न नहीं हो। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि रतलाम शहर में निगम के 768 नलकूप है तथा सभी चालू हालत में है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शहर में जलापूर्ति के लिए आपूर्ति व्यवस्था में गड़बड़ नहीं हो, जहां पाइप लाइन खराब है तत्काल सुधारी जाए। ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री गोगादे ने बताया कि हाटपिपलियां में नल जल योजना का कार्य पूर्ण कराकर आपूर्ति शुरू कर दी गई है। कसारी ग्राम में मंगलवार तक व्यवस्था कर दी जाएगी। कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि पेयजल के लिए जहां भी परिवहन की आवश्यकता हो, तत्काल परिवहन कार्य आरंभ कराएं। बैठक में कलेक्टर ने पीएम स्वानिधि योजना में 1 हजार हितग्राहियों को राशि वितरण अप्रैल माह के अंत तक करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में 500 हितग्राहियों को राशि वितरण आगामी 30 अप्रैल तक कराने के निर्देश दिए गए। आयुष्मान कार्ड की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने रतलाम ग्रामीण, सैलाना तथा बाजना विकासखंडों में कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि तय समय सीमा में प्रगति नहीं आने पर सैलाना, बाजना, रतलाम ग्रामीण जनपदों के मुख्य कारण अधिकारियों के वेतन रोके जाएंगे तथा एक एक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी।

कलेक्टर ने गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए संचालित आयुष्मति प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि फॉलोअप में ढिलाई नहीं बरती जाएं। अभी देखने में आ रहा है कि कैंप के पश्चात सही ढंग से समय सीमा में फॉलोंअप नहीं लिया जा रहा है जो उचित नहीं है। कलेक्टर ने कोविड-19 सेंपलिंग कार्य में सैंपल संख्या वृद्धि के निर्देश दिए। खनिज विभाग की धरपकड़ कार्रवाइयों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने कार्रवाईयां सतत जारी रखने के निर्देश दिए।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 को

रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश, प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जावेगा। इन्दौर समाचार

नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जि.वि.से.प्रा. राजेश कुमार गुप्ता द्वारा समस्त न्यायाधीशगण के साथ बैठक कर उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें निराकृत करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष द्वारा नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु न्यायालय परिसर में ऑटोरिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही समस्त न्यायाधीशगणों की बैठक आयोजित की गई तथा तहसीलों के न्यायाधीशगणों की बैठक वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली गई तथा अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। नेशनल लोक अदालत में ऑपराधिक प्रकरण 315, चैक बाउंस प्रकरण 1230, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 401, लेबर प्रकरण 105, विद्युत प्रकरण 240, वैवाहिक प्रकरण 83, सिविल प्रकरण 626, अन्य (भरण पोषण आदि) 281 प्रकरण रखे गए है। उक्त लोक अदालत की तैयारी हेतु अन्य विभागो जैसे बैंक, एमपीईबी, नगर पालिक निगम, बी.एस.एन.एल. के लेखाधिकारी, मोटर क्लेम प्रकरणों हेतु बीमा कंपनियों तथा उनके व आवेदकगण के अधिवक्तागण की बैठके आयोजित की गई है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों को निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा आगामी नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया है। 27-4

कलेक्टर ने जनसुनवाई में जनहित से जुड़े अधिकारियों को अनिवार्य उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया

27-4

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जनसुनवाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जनहित से जुड़े समस्त विभागों के अधिकारियों को जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अनिवार्य रुप से उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया है। अधिकारी प्रातः 11 बजे के पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। अपने विभाग में लंबित जनसुनवाई के प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी के साथ आएंगे। कलेक्टर ने जिन विभागों को मुख्य रूप से जनसुनवाई व्यवस्था में अनिवार्य उपस्थिति के लिए निर्देशित किया है उन्हें कलेक्ट्रेट भवन में स्थित समस्त जिला अधिकारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री, नगर निगम आयुक्त, रतलाम ग्रामीण एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कार्यपालन यंत्री विद्युत वितरण कंपनी तथा रतलाम ग्रामीण तहसीलदार सम्मिलित है। इन्दौर समाचार

आवश्यकता होने पर निजी बोरवेल के अधिकृत किए जाएं

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने ग्रीष्मकाल के मद्देनजर
निगमायुक्त, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनपद पंचायतों के मुख्य
कार्यपालन अधिकारियों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आवश्यक
दिशा-निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर निजी
बोरवेल तथा कुए भी अधिग्रहित किए जाए ताकि हरसंभव कदम उठाकर
हमें यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थान पर जल समस्या उत्पन्न
नहीं हो। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि जिन गांवों में
पेयजल के परिवहन की आवश्यकता है उन गांव को सूचीबद्ध करके
योजित ढंग से जल उपलब्ध करवाया जाए। निगमायुक्त को निर्देशित
है कि पाइप लाइंस में जहां भी लीकेज हैं वहां तत्काल दुरुस्ती

इन्दौर समाचार 27-4